

NOTE FOR THE PAD

There are three National Scholarship Schemes namely: Pre Matric, Post Matric and Merit cum Means based Scholarship for students to the Minority Community run by Social Justice, Empowerment, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes and Antyodaya (SEWA) Department.

1. Pre Matric Scholarship

BACKGROUND

The Prime Minister's New 15 Point Programme for the welfare of Minorities was announced in June, 2006. To provide a Pre-Matric scholarship scheme for meritorious students from Minority Communities.

OBJECTIVE

The Scholarship at pre-matric level will encourage parents from minority communities to send their school going children to school, lighten their financial burden on school education and sustain their efforts to support their children to complete school education to provide education and employment for upliftment of the socio economic conditions of the minority communities.

SCOPE

Earlier, the scholarship was being awarded for studies in India in a government or private school from class I to class X. Now, the scholarship from the year 2022-23 will be awarded to the students of Class IX and X only including such residential Government institutes and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Government.

ELIGIBILITY

Scholarship will be awarded to the students who have secured not less than 50% marks in the previous final examination and annual income of their parents/guardian from all sources does not exceed Rs. 1.00 lakh.

EARMARKING

- i) 30% scholarship is earmarked for girls students of each minority community in a State which is transferable to male and female students in case of non-availability of gender.
- (ii) If the physical target of scholarship for a particular minority community in a state is not utilized, it will be distributed among the same minority community in other States strictly in accordance with merit and without disturbing the national ration for the community. Any unutilized community quota shall be distributed amongst other communities again in accordance with merit and without affecting overall national quota.
- (iii) A student residing in a particular State will be entitled for scholarship under the quota of that State only.

SELECTION PROCEDURE

As the number of scholarships for minorities available in a year is fixed and limited, to lay down preference for selection. Inter-se selection weightage is to be given to poverty rather than marks (the applicant is required to submit an Income Certificate. In case of same income, merit shall be generated from 'Date of Birth' criteria of applicant (senior is preferred). All renewal students are eligible for Scholarship.

RATES OF SCHOLARSHIP

Actual financial assistance will be provided for admission/ tuition fee and maintenance allowance as given below subject to a maximum ceiling indicated against item concerned are as under:-

Item	Rate of Scholarship
Rate of Scholarship Course Fee	Admission fee for Class VI to X: Rs. 500/ per annum subject to actuals (for both Hosteller & Day Scholar).
	Tuition Fee for Class VI to X: Rs. 350/- per month subject to actuals (for both Hosteller & Day Scholar).
Maintenance Allowance	For Class I to V Rs. 100/- for Day Scholar (for 10 months in an academic year).
	For Class VI to X Rs. 600/- per month for Hosteller Rs. 100/-per month for Day Scholar (for 10 months in an academic year).

The scheme is being implemented/ funded by Ministry of Ministry Affairs, New Delhi through the States on the subject to certain condition for scholarship.

2. **Post Matric Scholarship**

BACKGROUND

The Prime Minister's New 15 Point Programme for the welfare of Minorities was announced in June, 2006. To provide a Post-Matric scholarship scheme for meritorious students from minority communities.

OBJECTIVE

The objective of the scheme is to award scholarships to meritorious students belonging to economically weaker sections of minority community so as to provide them better opportunities for increasing higher education and enhance their employability.

SCOPE

The scholarship is to awarded for studies in India in a government or private higher secondary school/college/university, including such residential institutes of the Government and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Government to cover technical and vocational courses of classes XI and XII level including Polytechnics and no course including certificate courses are covered.

ELIGIBILITY

Scholarship will be awarded to the students who have secured not less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination and the annual income of whose parents/ guardians from all sources does not exceed Rs. 2 lakh.

EARMARKING

(i) 30% scholarship is earmarked for girl students of each minority community in a state which is transferable to male and female students in case of non-availability of gender.

(ii) if the physical target of scholarship for a particular minority community in a state is not utilized, it will be distributed among the same minority community in other states strictly in accordance with merit and without distributing the national ratio for the community. Any unutilized community quota shall be distributed amongst other communities again in accordance with merit and without affecting overall national quota.

(iii) A student residing in a particular state will entitled for scholarship under the quota of that state only.

SELECTION PROCEDURE

As the number of scholarships for minorities available in a year is fixed and limited, to lay down preference for selection. Inter-se selection weightage is to be given to poverty rather than marks (the applicant is required to submit an income certificate). In case of same income, merit shall be generated from 'Date of Birth' criteria of applicant (senior is preferred). There is no merit list for renewal cases.

RATES OF SCHOLARSHIP

Actual financial assistance will be provided for admission/ tuition fee and maintenance allowances as given below subject to a maximum ceiling indicated against item concerned are as under:-

Item	Rate of Scholarship
Rate of Scholarship Course Fee	Admission and tuition fee for Class XI to XII: Rs. 7000/- per annum subject to actuals (for both Hosteller & Day Scholar).
	Admission and course/ tuition fee for technical and vocation courses of XI and XII level (Courses of one or more year of duration): Rs. 10,000/- per annum subject to actual (both Hosteller & Day Scholar)
	Admission and tuition fee for UG & PG level: Rs. 3,000/- per annum subject to actual (both Hosteller & Day Scholar).
Maintenance Allowance For 10 months in an academic year).	For Class XI & XII including Tech. & Voc. Course: Rs. 380/- per month for

	Hosteller & Rs. 230/- per month for Day Scholar.
	For Courses other than Tech. & Prof. courses at UG& PG level: Rs. 570/- per month for Hosteller & Rs. 300/- per month for Day Scholar.
	For M.Phil & Ph.D.: Rs. 1200/- per month for Hosteller & Rs. 550/- per month for Day Scholar.

The scheme is being implemented/ funded by Ministry of Ministry Affairs, New Delhi through the States on the subject to certain condition for scholarship.

3. Merit-cum-Means Scholarship

BACKGROUND

The Prime Minister's New 15 Point Programme for the welfare of Minorities was announced in June, 2006. To provide a merit-cum-means scholarship scheme for meritorious students from minority communities.

OBJECTIVE

The objective of the Scheme is to provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses.

SCOPE

The scholarship is to be awarded for students in India in a Government or private institution, selected and notified in a transparent manner by

the State Government concerned. It will cover technical and professional courses at undergraduate and post graduate level.

ELIGIBILITY

Scholarship will be awarded to the students who have secured not less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination and the annual income of whose parents/ guardians from all sources does not exceed Rs. 2.50 lakh.

EARMARKING

(i) 30% scholarship is earmarked for girl students of each minority community in a state which is transferable to male and female students in case of non-availability of gender.

(ii) if the physical target of scholarship for a particular minority community in a state is not utilized, it will be distributed among the same minority community in other states strictly in accordance with merit and without distributing the national ratio for the community. Any unutilized community quota shall be distributed amongst other communities again in accordance with merit and without affecting overall national quota.

(iii) A student residing in a particular state will be entitled for scholarship under the quota of that state only.

SELECTION PROCEDURE

The number of Scholarship has been fixed State wise on the basis of Community-wise minority population of the States. Within the State-wise allocations, the applications from listed Institutions will be exhausted first in merit list. In case number of such students is more than the State/ Community-wise quota, normal merit list criteria shall be followed. Other verified applicant/ student will be selected in the merit list, thereafter, on merit basis i.e. Percentage/ marks of last academic course/ board (higher secondary/ graduation) exam. In case

of similar marks, income will be taken as deciding factor. There is no merit list for renewal cases.

RATES OF SCHOLARSHIP

The details of the scheme are as under:-

Item	Rate of Scholarship
Rate of Scholarship Course Fee	Rs. 20,000/- per annum subject to actual whichever is less (for both Hosteller & Day Scholar).
Maintenance Allowance	Rs. 1,000/- per month for Hosteller (for 10 months in an academic year) Rs. 500/- per month for Day Scholar (for 10 months in an academic year)
Scholarship for listed Institutes	Full course fee is reimbursed for 85 listed Institutes.

The scheme is being implemented/ funded by Ministry of Ministry Affairs, New Delhi through the States on the subject to certain condition for scholarship.

नोट फोर पैड

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए तीन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएं हैं:— प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति।

1. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति

पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी। अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित करने का प्रावधान है।

उद्देश्य

प्री-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के माता-पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगी, स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को हल्का करेगी और उनके अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए उनके प्रयासों को बनाए रखेगी।

दायरा

भारत में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के सरकारी या निजी स्कूल में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी, अब वर्ष 2022-23 से केवल कक्षा 9 से 10 तक के अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रदान की जाएगी जिसमें ऐसे आवासीय सरकारी संस्थान और राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित पात्र निजी संस्थान शामिल हैं।

पात्रता

छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50 % से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं और उनके माता-पिता /अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

निर्धारण

i) 30 % छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं । यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होंगी तो शेष निर्धारित छात्रवृत्तियां को पात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा ।

ii) यदि किसी राज्य में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति के भौतिक लक्ष्य का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे अन्य राज्यों में उसी अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कड़ाई से योग्यता के अनुसार और समुदाय के लिए राष्ट्रीय अनुपात को प्रभावित किए बिना वितरित किया जाएगा। कोई भी अप्रयुक्त सामुदायिक कोटा योग्यता के अनुसार और समग्र राष्ट्रीय कोटा को प्रभावित किए बिना अन्य समुदायों के बीच फिर से वितरित किया जाएगा।

iii) किसी विशेष राज्य में रहने वाला छात्र केवल उस राज्य के कोटे के तहत छात्रवृत्ति का हकदार होगा।

चयन प्रक्रिया

चयन के लिए वरीयता निर्धारित करने के लिए एक वर्ष में उपलब्ध अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या निश्चित और सीमित है। चयन की प्रक्रिया के दौरान परस्पर महत्व अंकों की बजाय गरीबी को दिया जाना है। (आवेदक को आय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।) समान आय के मामले में, आवेदक के 'जन्म तिथि' मानदंड के अनुसार निश्चित की जाएगी (वरिष्ठ को प्राथमिकता दी जाती है) नवीनीकरण के मामलों में कोई योग्यता सूची नहीं है।

छात्रवृत्ति की दरें

प्रवेश/शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ता के लिए वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जैसा कि नीचे दिया गया है, जो कि संबंधित मद के सामने दर्शाई गई अधिकतम सीमा के अधीन है: –

विषय	छात्रवृत्ति की दर
छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम की दर	कक्षा VI से X के लिए प्रवेश शुल्क: रु. 500/- प्रति वर्ष/वास्तविक आधार पर (हॉस्टलर और डे स्कॉलर दोनों के लिए) ।
	कक्षा VI से X के लिए शिक्षण शुल्क: रु. 350/- प्रति माह/वास्तविक आधार पर

	(हॉस्टलर और डे स्कॉलर दोनों के लिए)।
अनुरक्षण भत्ता	कक्षा I से V के लिए रु. 100/- डे स्कॉलर के लिए (एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए)।
	कक्षा छठी से दसवीं के लिए छात्रावास के लिए रु. 600/- रु. प्रति माह डे स्कॉलर के लिए 100/- रु. प्रति माह (एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए)।

यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय नई दिल्ली द्वारा राज्य के माध्यम से कुछ शर्तों के आधार पर कार्यान्वित/ वित्त पोषित की जा रही हैं ।

-2पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी। अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित करने का प्रावधान है ।

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकें ।

दायरा

छात्रवृत्ति भारत में सरकारी या निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है, जिसमें सरकार के ऐसे संस्थान जोकि अवासीय संस्थान और तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में कक्षा XI तथा XII के स्तर तथा तकनीकी कौशल प्रशिक्षण संस्थान भी शामिल है। लेकिन इसमें कोई भी सर्टिफाईड कोर्स शामिल नहीं है।

पात्रता

छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50 % से कम अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त नहीं किया है और जिनके माता-पिता / अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

निर्धारण

(i) 30 % छात्रवृत्तियां छात्रों के लिए निर्धारित हैं । यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होंगी तो शेष निर्धारित छात्रवृत्तियां को पात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा ।

(ii) यदि किसी राज्य में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति के भौतिक लक्ष्य का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे अन्य राज्यों में उसी अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कड़ाई से योग्यता के अनुसार और समुदाय के लिए राष्ट्रीय अनुपात को प्रभावित किए बिना वितरित किया जाएगा। कोई भी अप्रयुक्त सामुदायिक कोटा योग्यता के अनुसार और समग्र राष्ट्रीय कोटा को प्रभावित किए बिना अन्य समुदायों के बीच फिर से वितरित किया जाएगा।

(iii) किसी राज्य विशेष में रहने वाला छात्र उस राज्य के कोटे के तहत ही छात्रवृत्ति का हकदार होगा।

चयन प्रक्रिया

चयन के लिए वरीयता निर्धारित करने के लिए एक वर्ष में उपलब्ध अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या निश्चित और सीमित है। चयन की प्रक्रिया के दौरान परस्पर महत्व अंकों की बजाय गरीबी को दिया जाना है। (आवेदक को आय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।) समान आय के मामले में, आवेदक के 'जन्म तिथि' मानदंड के अनुसार निश्चित की जाएगी (वरिष्ठ को प्राथमिकता दी जाती है) नवीनीकरण के मामलों में कोई योग्यता सूची नहीं है।

छात्रवृत्ति की दरें

प्रवेश / शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ते के लिए वास्तविक वित्तीय सहायता नीचे दी गई है, जो कि संबंधित मद के सामने दर्शाई गई अधिकतम सीमा के अधीन है: –

विषय	छात्रवृत्ति की दर
छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम की दर	कक्षा XI से XII के लिए प्रवेश और शिक्षण शुल्क: रु. 7000/- प्रति वर्ष/वास्तविक के आधार पर (हॉस्टलर और डे स्कॉलर दोनों के लिए)।
	XI और XII स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क (एक या अधिक वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम): 10,000/- रुपये प्रति वर्ष/वास्तविक के आधार पर (हॉस्टलर और डे स्कॉलर दोनों)
	पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के लिए प्रवेश और शिक्षण शुल्क: 3,000/- रुपये प्रति वर्ष /वास्तविक के आधार पर (हॉस्टलर और डे स्कॉलर दोनों) के अधीन।
अनुरक्षण भत्ता (एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए)।	ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए तकनीकी और व्यवसायिक सहित । छात्रावास के लिए 380/- रु. प्रति माह और डे स्कॉलर के लिए 230/- रु. प्रति माह।

	<p>पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए: छात्रावासियों के लिए 570/-रुपये प्रति माह और डे स्कॉलर के लिए 300/- रु प्रति माह।</p>
	<p>एम.फिल और पी.एच.डी के लिए: छात्रावास के लिए 1200/- रुपये प्रति माह और डे स्कॉलर के लिए 550/- रु. प्रति माह।</p>

यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय नई दिल्ली द्वारा राज्य के माध्यम से कुछ शर्तों के आधार पर कार्यान्वित/ वित्त पोषित की जा रही हैं ।

-3मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति

पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी। अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित करने का प्रावधान है ।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब और मेधावी छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

दायरा

यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जा रही है जोकि भारत के सरकारी ओर निजी सस्थानों, राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी माध्यम से चयनित तथा पात्र सस्थान है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

पात्रता

छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50 %से कम अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त नहीं किया है और जिनके माता-पिता / अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

निर्धारण

(i) 30 % छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होंगी तो शेष निर्धारित छात्रवृत्तियां को पात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा।

(ii) यदि किसी राज्य में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति के भौतिक लक्ष्य का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे अन्य राज्यों में उसी अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कड़ाई से योग्यता के अनुसार और समुदाय के लिए राष्ट्रीय अनुपात को प्रभावित किए बिना वितरित किया जाएगा। कोई भी अप्रयुक्त सामुदायिक कोटा योग्यता के अनुसार और समग्र राष्ट्रीय कोटा को प्रभावित किए बिना अन्य समुदायों के बीच फिर से वितरित किया जाएगा।

(iii) किसी राज्य विशेष में रहने वाला छात्र उस राज्य के कोटे के तहत ही छात्रवृत्ति का हकदार होगा।

चयन प्रक्रिया

राज्यों की समुदायवार अल्पसंख्यक जनसंख्या के आधार पर छात्रवृत्ति की संख्या राज्यवार निर्धारित की गई है। राज्यवार आबंटनों में सूचीबद्ध संस्थानों के आवेदन मेरिट सूची में सबसे पहले लिए जाएंगे ऐसे छात्रों की संख्या राज्य/समुदाय-वार कोटा से अधिक होने की स्थिति में, सामान्य योग्यता सूची मानदंड का पालन किया जाएगा। अन्य सत्यापित आवेदक/छात्र का चयन मेरिट सूची में किया जायेगा, तत्पश्चात् योग्यता के आधार पर अर्थात् पिछले शैक्षणिक पाठ्यक्रम/बोर्ड (उच्चतर माध्यमिक/स्नातक) परीक्षा के प्रतिशत/अंकों के आधार पर समान अंकों के मामले में, आय को निर्णायक कारक के रूप में लिया जाएगा। नवीनीकरण मामलों के लिए कोई योग्यता सूची नहीं है।

छात्रवृत्ति की दरें

विषय	छात्रवृत्ति की दर
छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम की दर	20000/- प्रति वर्ष/वास्तविक के आधार पर जो भी कम हो (हॉस्टलर और डे स्कॉलर दोनों के लिए)।

अनुरक्षण भत्ता	हॉस्टलर के लिए 1000/- रु. प्रति माह (एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए) डे स्कॉलर के लिए 500/- रु. प्रति माह (एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए)
सूचीबद्ध संस्थानों के लिए छात्रवृत्ति	85 सूचीबद्ध संस्थानों के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय नई दिल्ली द्वारा राज्य के माध्यम से कुछ शर्तों के आधार पर कार्यन्वित/ वित्त पोषित की जा रही हैं ।